बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र06 / विविध– 64 / 14 खाद्य–पटना / दिनांक–

प्रेषक,

रमाशंकर प्र0 दफ्तुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद ।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम– 2013 के प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों में शामिल अपात्र परिवारों के नाम सूची से हटाने एवं उसको निर्गत राशन कार्ड निरस्तीकरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–890 दिनांक 13.08.2015 के प्रसंग में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम– 2013 के आलोक में राज्य के अन्तर्गत पात्र परिवारों की पहचान हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत का निर्धारण किया गया है। आपके प्रासंगिक पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्विकताप्राप्त परिवारों की सूची में कई ऐसे परिवार भी शामिल है जो वास्तव में पात्रता नहीं रखते हैं परन्तु वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है । इस संबंध में विभागीय पत्र सं0–4187 दिनांक 09.07.2014 का कृपया संदर्भ किया जाय (छायाप्रति संलग्न) जिसकी कंडिका–5 में यह निदेश अंकित था कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 03 दिनांक 01.01.2014 द्वारा नगर / ग्रामीण क्षेत्र में पात्र गृहस्थियों के लिए निर्धारित मानदंड प्रचारित किया गया है, परन्तु राशन कार्ड वितरण के संबंध में क्षेत्र से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है जिसमे सरकारी सेवक / आयकरदाता / सेवाकरदाता / तीन पहिया– चार पहिया वाहन मलिक आदि जैसी सुविधा वाले परिवारों के नाम से भी राशन कार्ड मुद्रित हो गया है। अतः उक्त पत्र द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर ऐसे मामलों की पहचान कर सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सूची में COTS के माध्यम से आवश्यक संशोधन किया जाय। प्रासंगिक पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त विभागीय निदेश का अनुपालन जिलान्तर्गत नहीं किया गया है ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम– 2013 के आलोक में पात्रता का निर्धारण विभागीय संकल्प सं0– 9493 दिनांक 12.12.2014 एवं संकल्प सं0– 4342 दिनांक 29.05.2015 द्वारा भी किया गया है ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0–224 दिनांक 11.05. 2011 के आलोक में जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नये राशन कार्डों के आवेदन पर निर्णय के लिए बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के अधीन अनुमंडल पदाधिकारियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की शक्ति प्रदत है ।

अतः विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों / परिवारों की पहचान हेतु निर्धारित उक्त मानकों के आधार पर पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाय ।यदि किसी क्रम में परिवारों के उक्त मानकों पर पात्रता नहीं रखने की जानकारी प्राप्त होने पर ऐसे मामलों की जांच किया जाय एवं जांचोपरांत अपात्र पाये जाने पर उनके नाम पात्र परिवारों की सूची से विलोपित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय । साथ ही अपात्र परिवारों को राशन कार्ड निर्गत करने वाले पदाधिकारी के विरूद्व कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन
ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनु0:– यथोक्त ।

D:\a YEAR-2015\a\a SEC-06-a\VIVIDH-a.doc

ज्ञापांक प्र06 / विविध– 64 / 14 6917 खाद्य–पटना / दिनांक– 29/08/15

प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/15

सरकार के संयुक्त सचिव ।